कार्यालय सदस्य सचिव,
राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
9वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

संख्याः /यूपीराभूजप्रविप्रा, दिनांक/लखनऊ/जून 16 , 2022

–: विज्ञप्ति :–

भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा–6 के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद स्तर पर गठित 'जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्' के माध्यम से भूजल निष्कर्षण किये जाने हेतु कूपों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत/नवीनीकरण एवं पंजीकरण किये जा रहें है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित Specific Conditions में औद्योगिक उपयोक्ताओं हेतु अंकित बिन्दु (iii) में 100 घनमीटर प्रतिदिन से अधिक भूजल निष्कर्षण करने वाले उद्योगों को Confederation of Indian Industries(CII)/Federation Indian Chamber of Commerce and Industry(FICCI)/ National Productivity Council(NPC) द्वारा प्रमाणित auditors से Annual Water Audit करवाने की शर्त है।

अतएव केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत Accredited Water Auditors की सूची के क्रम में उ0प्र0 में वेब–पोर्टल के माध्यम से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित Specific Conditions में औद्योगिक उपयोक्ताओं हेतु अंकित बिन्दु (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए Annual Water Audit करवाने हेतु उक्त तीनों ऐजेन्सियों के अतिरिक्त PHD Chamber of Commerce & Industries का नाम भी सम्मिलित किया जाता है।

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

वी0के0 उपाध्याय
सदस्य सचिव।

संख्याः 05 /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूजल प्रबन्धन परिषद्, उ0प्र0।
2. अनुसचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0।
5. वेब–पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।

(वी0के0 उपाध्याय)
सदस्य सचिव।